

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>नरेन्द्र बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या 335/2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>31.10.22</p>	<p>अपीलार्थी नरेन्द्र जैन पुत्र राजेन्द्र कुंकुलोल निवासी मरूधर मेवाड़ी मार्केट के अन्दर, ब्यावर, जिला अजमेर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2022 में उसके द्वारा (1) ग्राम डोलिया तहसील जोधपुर के खसरा न. 148 की मिसर बन्दोबस्त (2) ग्राम डोलिया तहसील जोधपुर के खसरा न. 148 की जमाबन्दी संतव 2033-36, 2057-60 (3) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	